



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234659
CG-DL-E-30032022-234659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350]
No. 1350]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

का.आ. 1392(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3948(अ) तारीख 25 अक्तूबर 2019 और का. आ. 2966(अ) तारीख 22 जुलाई 2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3559 तारीख 31 अक्तूबर 2019 और असाधारण राजपत्र संख्या 2760 तारीख 27 जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 26 नवम्बर 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल: वनपरथी		जिला: वनपरथी		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वनपरथी	सवाईगुडम	271	00	01
2			315	00	03
3			288	00	02
4			289	00	01
5			311	00	02
6			324	00	01
7			334	00	02
8			353	00	04
9			368	00	06
10			370	00	01
11			371	00	01
12			16	00	01
13	वनपरथी	नाचहल्ली	197	00	01
14			193/1	00	02
15	वनपरथी	किस्तागिरी	10	00	03
16	वनपरथी	चितयाला	94	00	01
17			96	00	01
18			99	00	02
19	वनपरथी	पेद्दागुडेम	239	00	01
20			243	00	04

21			251	00	03
22			321	00	01
23			307	00	04
24			139	00	01
25			124	00	01
26			110	00	02
27			120	00	01
28	वनपरथी	पेद्दागुडेम	115	00	01
29	वनपरथी	राजापेट	444	01	02
30			439	00	01
31			424	00	04
32			426	00	01
33			417	00	01
34			284	00	01
35			282	00	01
36			324	00	01
37			328	00	03
38	वनपरथी	अचुतापुर	163	00	02
39			155	00	02
40			154	00	02
41			136	00	01
42			139	00	01
43			108 (नाला)	00	01
44			104	00	01
45			81	00	01
46			82	00	01
47			86	00	01
48			59	00	02
49	वनपरथी	राजानगर	300	00	01
50			13	00	01
51			33	00	01

[फा. सं. आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/(ई-31417)]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2022

S.O. 1392(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3948(E) dated the 25th Oct.2019 and S.O.No.2966(E) dated the 22nd July.2021 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.3559 dated the 31th Oct. 2019 and Extraordinary Gazette of India No.2760 dated the 27th July. 2021 the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 26th November 2019.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Wanaparthly		Dist: Wanaparthly		State: Telangana	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wanaparthly	Savaigudem	271	00	01
2			315	00	03
3			288	00	02
4			289	00	01
5			311	00	02
6			324	00	01
7			334	00	02
8			353	00	04
9			368	00	06
10			370	00	01
11			371	00	01
12			16	00	01
13	Wanaparthly	Nachahalli	197	00	01

14			193/1	00	02
15	Wanaparthi	Kistagiri	10	00	03
16	Wanaparthi	Chityala	94	00	01
17			96	00	01
18			99	00	02
19	Wanaparthi	Peddagudem	239	00	01
20			243	00	04
21			251	00	03
22	Wanaparthi	Peddagudem	321	00	01
23			307	00	04
24			139	00	01
25			124	00	01
26			110	00	02
27			120	00	01
28			115	00	01
29	Wanaparthi	Rajapet	444	01	02
30			439	00	01
31			424	00	04
32			426	00	01
33			417	00	01
34			284	00	01
35			282	00	01
36			324	00	01
37			328	00	03
38	Wanaparthi	Achuthapur	163	00	02
39			155	00	02
40			154	00	02
41			136	00	01
42			139	00	01
43			108 (Nala)	00	01
44			104	00	01
45			81	00	01
46			82	00	01
47			86	00	01
48			59	00	02

49	Wanaparthi	Rajanagar	300	00	01
50			13	00	01
51			33	00	01

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/(E-31417)]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.